DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times ------------------------------ DATED 23/9/22

Delhi Master Plan can't be in limbo, notify by April: SC

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The draft Master Plan of Delhi-2041 (MPD-2041), which was put in the public domain in June 2021, is likely to be notified by April next year, the Delhi Development Authority (DDA) has informed the Supreme Court.

After additional solicitor general Aishwarya Bhati gave the apex court the cut-off dates for final approval and notification of the draft, a bench of justices Sanjay Kishan Kaul and Abhay S Oka in its September 13 order said, "Even though the dates given are tentative, we expect these dates to be strictly adhered to as the matter cannot remain in limbo for ad infinitum period of time. We are sure that final Master Plan would be published on or before 30.04.2023."

As per the initial plan, the MPD-2041 was to come into effect from this year, but got delayed as the DDA is in the process of finalising key policies such as the Green Development Area (GDA) policy, and incorporate the suggestions/objections received from the public on the draft plan.

As per its submission in the apex court, the reworked MPD-2041 will be placed in the authority meeting, which is chaired by lieutenant governor Vinai Kumar Saxena, in the first week of December.

Once approved by the authority, it will be sent to the Union ministry for housing and urban affairs (Mohua) for final notification by January 15, 2023.

The DDA has been working on finalising key policies and necessary amendments proposed in the Delhi Development Act, 1957 by the Centre. "Changes have been suggested in the Delhi Development Act, 1957 to facilitate the implementation of the land pooling policy, which was notified in 2018," said a DDA official.

One of the key policies which are yet to be finalised is the GDA policy that is aimed at regulating development in villages in the greenbelt located on the outskirts of the city and regularisation of farmhouses. Earlier this month, the ministry of housing and urban affairs held a meeting with stakeholders to discuss the GDA policy, which will be notified along with the MPD-2041.

"We are in the process of finalising the plan. We have held detailed discussions on various policy provisions," the DDA official said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली
। शुक्रवार, 23 सितंबर 2022
www.delhi.nbt.in

NAME OF NEWSPAPERS------ ------DATED------------------------

अवैध कब्जे और गंदगी से बदतर हुई कॉलोनी

कालकाजी डीडीए फ्लैट्स के लोगों ने कई बार की शिकायत पर हुआ कुछ नहीं

■ अश्वनी शर्मा, कालकाजी

साउथ ईस्ट दिल्ली के कालकाजी डीडीए फ्लैट (चार मंजिला) के लोग गलियों में अवैध कब्जे और गंदगी से काफी परेशान हैं। इसके अलावा लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कॉलोनी के निवासियों ने पार्क पर अतिक्रमण और सफाई की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम व प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत की, लेकिन उनकी एक न सुनी। कुछ साल पहले प्रशासन के अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया और इसे साफ करवाया था, लेकिन उनके जाते ही स्थिति फिर से पहले की तरह हो गई।

स्थानीय लोगों की मानें तो कुछ लोगों ने पूरे इलाके में कब्जा कर रखा है। ये लोग यहां अपने पशु बांधते हैं और उन्हें पार्कों में छोड़ देते हैं, जिससे बच्चे पार्क में खेलने भी नहीं जा सकते हैं। पैरेंट्स को डर रहता है कि पशु उनके बच्चों को चोट न पहुंचा दें। वहीं गंदगी का अलाम यह है कि फ्लैटों की गलियों में पशुओं का मल-मूत्र फैला रहता है, जिसके कारण यहां मच्छर पैदा हो रहे हैं।

पार्कों में बैठे रहते हैं जानवर, कई जगहों पर अतिक्रमण किया हुआ है

आरडब्ल्यूए की जनरल सेक्रेटरी जसविंदर कौर ने बताया कि यह कॉलोनी 1975 में बनाई गई थी। कालकाजी डीडीए में करीब 352 फ्लैट हैं। यहां ज्यादातर मकान चार मंजिल बने हैं। डीडीए फ्लैट में दो रास्ते हैं। एक मुख्य जो मेन रोड की तरफ जाता है। वहीं दूसरा रास्ता डीडीए फ्लैट के पीछे से है। पीछे वाले रास्ते में लोगों ने लोहे की जाली लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस रास्ते को घेरकर लोग मिठाई बनाने का काम करते हैं। आरोप है कि इस रास्ते से सिर्फ इनको ही जाने की इजाजत होती है। दूसरे व्यक्ति को यह लोग जाने नहीं देते। इसके अलावा पीछे वाले रास्ते में गंदगी रहती है, जिसे यह लोग साफ नहीं करते। इतना ही नही इन लोगों ने पार्क को भी नहीं छोड़ा। ये लोग अपने पशु वहां छोड़ देते हैं, जो पार्क भी गंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल पशुओं को लंपी वायरस जैसी बीमारी ने घेर रखा है। ऐसे में यह पशु यहां वहां घुमते रहते हैं।

स्थानीय निवासी एक महिला ने बताया कि यहां लोग चूल्हा जलाते हैं। जिसका धुआं घरों में भर जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। डीडीए फ्लैट में काफी संख्या बुजुर्गों की भी है। जिन्हें आने-जाने में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इस कदर अतिक्रमण कर रखा है कि कोई गाड़ी अंदर तक नहीं आ सकती। रात में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उन्हें बाहर ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

आरोप

- फ्लैट्स के पीछे वाले रास्ते पर किया है कब्जा, रोक रखा है रास्ता
- पार्कों में भी रहता है पशुओं का जमावड़ा, बच्चे खेलने नहीं जा पाते

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022

Two societies get HC nod to hold Ramlila events in parks

Times News Network

New Delhi: Delhi High Court has granted permission to two societies to hold Dussehra and Ramlila celebrations in two separate parks in the city and directed them to scrupulously follow all safety norms.

The two societies approached the high court saying that they have been holding Ramlila and Dussehra celebrations in these parks for the last several years. Delhi Development Authority (DDA) had been granting permission to hold the celebrations at the same venues, but it was declined this time, they claimed.

Justice Dinesh Kumar Sharma noted an office order passed by DDA on August 22 and said the agency itself reserved the specific sites for the period from September 6 to October 15 for these committees, so that they are not booked for any other social and cultural function by any other organising committee through the online mode.

The decision was taken following a meeting held under the chairmanship of lieutenant governor. "The order dated August 22, 2022 further reads that all concerned were requested to take immediate action accordingly for the smooth implementation of the above-mentioned directions. It was also so directed that other terms and conditions will remain the same as per the existing policy," the high court noted in two separate but similar orders.

While the court permitted Shree Keshav Dharmik Ramlila Committee to hold Ramleela and Dussehra celebrations from September 24 till October 5 at Maharishi Dayanand Park near Kanhaiya Nagar Metro Station in Tri Nagar, it allowed Aastha Ramlila Committee to do so at Dr Hedgewar Park, Saraswati Garden in Kirti Nagar.

The counsel for DDA submitted that public parks in Delhi cannot be used for marriage, holding Ramlila, or commercial purposes. Advocate Gagan Gandhi, representing the petitioner, showed the court a list submitted by Delhi Dharmik Mahasangh where the names of petitioner committees appear and also placed on record the DDA's office order.

The court said in view of the office order of DDA, the two committees be permitted to hold Ramleela and Dussehra celebrations in the respective parks. "The petitioner society (s) shall also follow scrupulously all the safety norms and other norms as prescribed by the NGT, Delhi Police, DFS, MCD, and other connected organisations," it said.

NEWSPAPERS---DATED---------------------

SC's Hawk Eye Set To Give MPD-41 Big Push

Court Wants Strict Adherence To April Date

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: The draft Master Plan of Delhi 2041 is likely to be notified by April 30 next year with the Supreme Court directing a 'strict' adherence to the timeline given by Delhi Development Authority.

In its submission to the apex court, DDA put the deadline for tabling MPD-2041 for the first week of December, carrying out modifications as per decisions after discussions for the last week of December, and requesting the Union housing and urban affairs ministry for final approval and notification by January 15, 2023.

"Even though the dates given are tentative, we expect these dates to be strictly adhered to as the matter cannot remain in limbo for an infinitum period of time," the Supreme Court said recently. "We are sure that the Master Plan will be published on or before April 30, 2023."

The existing Master Plan 2021 was notified on February 7, 2007. MPD-2041, which was supposed to have been implemented early this year, got delayed for various reasons, including failure to finalise the Green Development Area (GDA) policy, the amendments made in the Delhi Development Act by the Union urban affairs ministry and the delay in incorporation of suggestions made by the public.

The delay in the approval of GDA policy has led to the mushrooming of illegal farmhouses in Delhi's villages, said experts. The policy, which aims to regulate development in designated rural areas and green belts in the city, will be notified along with MPD-2041.

SUPREME COURT SAYS

Even though the dates given are tentative, we expect these dates to be strictly adhered to as the matter cannot remain in limbo for an infinitum period of time

Bhupinder Bazad, president, Master Plan Committee, *Delhi Dehat Vikas Manch,* said that the GDA policy was notified in 2013, except for notification of charges and regulations. "But it was reconsidered and since then, DDA has invited objections several times. The policy is yet to be approved," said Bazad. "It will decide the fate of 88 villages and help in planned development there. In its absence, illegal construction is rampant in villages."

The urban affairs ministry held a meeting with stakeholders 10 days ago to hear their views. In August, the ministry also proposed amendments in the Delhi Development Act, 1957, as part of "pre-legislative consultation for the information of the public/stakeholders". A period of 30 days was given for comments and feedback on the amendment on the ministry's website and that period is expected to end this month. The amendments are meant to facilitate the implementation of the land pooling policy.

DDA approved MPD-2014 in April last year. It was placed in the public domain in June for the public to send in their objections and suggestions. In April this year, the DDA Advisory Council, headed by the then lieutenant governor, Anil Baijal, reviewed the draft of the master plan, which has incorporated around 33,000 objections and suggestions from the public.

However, before a final nod, the new LG, Vinai Kumar Saxena, decided to review the plan again. In August, there was a presentation before Saxena. "The LG raised points related to non-proliferation of slums and ensuring that unauthorised colonies got access to all necessary amenities," an official had said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक भास्कर DATED 23/9/2022

उपराज्यपाल का सुझाव • डीडीए के लिए फायदेमंद साबित हुआ

डीडीए को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों के लिए 15 दिनों में आए 1,940 आवेदन

नई दिल्ली | दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा दिए गए सुझाव को लागू करना मुनाफे का सौदा साबित हुआ है। डीडीए के द्वारा उपराज्यपाल के दिए सुझावों को लागू करने के बाद डीडीए में फ्लैट के लिए 1940 आवेदकों के आवेदन पंजीकृत करवाए है। इससे पहले फ्लैट के लिए आवेदन में कई बाधाएं आ रही थी जिन्हें संशोधित कर दूर कर दिया गया। डीडीए द्वारा बनाए गए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों की बिक्री ना होने को देखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिक्री मापदंडों में संशोधन किये थे। इसके तहत नरेला क्षेत्र में परिवहन सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर 1281 फ्लैट के लिए 1940 आवेदन आए हैं. बता दें कि नरेला में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की बिक्री के लिए 5 सितंबर को ही डीडीए ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विज्ञापन जारी किया था।

एलजी ने 3 लाख से कम की आय को संशोधित किया था

बता दें कि 3 अगस्त को डीडीए की बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपराज्यपाल ने 3 लाख से कम की वार्षिक व्यक्तिगत आय की बाध्यता को संशोधित कर 10 लाख रुपए वार्षिक व्यक्तिगत आय कर दिया था। इसके बाद कई और आवेदक एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में इन घरों के लिए पात्र बन गए और उन्होंने आवेदन कर दिया।

दिल्ली कैंट में वारदात

गाली गलौच करने पर कर दिया युवक का कत्ल, शव कुएं में फेंका

नई दिल्ली | साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के दिल्ली कैंट इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। उसकी गर्दन पर कांच की टूटी बोतल से वार किया गया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसे कुएं में भी फेंक दिया। पुलिस ने हत्या की इस वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान अमर चक्रवर्ती उर्फ बंगाली और विपु पंगिया उर्फ नेपाली के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक इस मामले के शिकायतकर्ता मनमोहन सिंह मूलरूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वह धौलाकुआं रेलवे स्टेशन के नजदीक सरदार पटेल मार्ग पर चाय की स्टॉल लगाते हैं। मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे उनका हेल्पर अक्षय डीडीए पार्क में अमर चक्रवर्ती और विपु के साथ ड्रिंक कर रहा था। इस दौरान किसी बात को लेकर उसकी दोनों से गर्मागर्मी हो गई। अक्षय ने दोनों के साथ गालीगलौच कर दी। यहां झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आए विपु ने टूटी कांच की बोतल से उसके गर्दन को रेत दिया। बाद में उसकी बॉडी को नजदीक ही कचरे से भरे कुएं में फेंक दोनों फरार हो गए।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2022

दो अलग पार्कों में दो सोसायटियों को दशहरा आयोजन की अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पार्क में दशहरा व रामलीला समारोह की अनुमति न देने के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने दो सोसायटियों को राहत दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने त्रि नगर और कीर्ति नगर में दो अलग-अलग पार्कों में दोनों सोसायटियों को दशहरा व रामलीला के आयोजन की अनुमति दे दी।

याचिका में दोनों सोसायटियों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से डीडीए की अनुमति से इन पार्कों में रामलीला व दशहरा समारोह कर रहे हैं, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिल रही है। सोसायटियों की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने 25 अगस्त को अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन डीडीए ने जवाब नहीं दिया। पीठ ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 22 अगस्त को डीडीए द्वारा जारी कार्यालय आदेश का अवलोकन किया। इसमें निर्णय लिया गया था कि छह सितंबर से 15 अक्टूबर तक इन साइट को केवल इन समितियों के लिए आरक्षित किया गया था, ताकि किसी अन्य आयोजन समिति द्वारा आनलाइन मोड के माध्यम से किसी अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह के लिए बुक नहीं किया जा सके। पीठ ने श्री केशव धार्मिक रामलीला समिति को 24 सितंबर से पांच अक्टूबर तक त्रि नगर में कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास महर्षि दयानंद पार्क (नेपाल वाला बाग) में रामलीला व दशहरा आयोजन की अनुमति दी।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 23 सितंबर 2022

टूटी बोतल से वार कर ली जान, शव कुएं में फेंका

कहासुनी के बाद किया हमला, दोनों आरोपी पकड़े

■ विशेष संवाददाता, दिल्ली कैंट

दिल्ली कैंट में वारदात

- जान गंवाने वाले की पहचान अक्षय (25) के रूप में हुई।
- हत्या से पहले आरोपियों ने युवक की गर्दन पर कांच की टूटी बोतल से वार किया था।
- जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला।

दिल्ली कैंट इलाके में मंगलवार शाम को एक युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। हत्या से पहले आरोपियों ने युवक की गर्दन पर कांच की टूटी बोतल से वार किया था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। जान गंवाने वाले की पहचान अक्षय (25) के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। हत्या की इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान अमर चक्रवर्ती उर्फ बंगाली और विपु पंगिया उर्फ नेपाली के तौर पर हुई है।

पुलिस अफसर के मुताबिक, वारदात की जानकारी धौलाकुंआ में चाय की दुकान वाले ने दी। अक्षय उन्हीं की दुकान में काम करते थे। दुकानदार ने पुलिस को बयान दिया कि मंगलवार रात करीब साढ़े 8 बजे उनकी दुकान का हेल्पर अक्षय डीडीए पार्क में अमर चक्रवर्ती और विपू के साथ ड्रिंक कर रहा था। इस दौरान किसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई। आरोप है कि झगड़ा बढ़ने पर विपू ने टूटी कांच की बोतल से अक्षय की गर्दन पर हमला कर दिया। इस दौरान अमर चक्रवर्ती ने अक्षय के दोनों पैर पकड़ लिए थे। बाद में खून से लथपथ शव को नजदीक ही कचरे से भरे कुंए में फेंककर दोनों फरार हो गए।

आरोप है कि भागने से पहले दोनों ने दुकानदार को धमकाया कि अगर पुलिस को खबर की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस सबके बावजूद दुकानदार ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने दिल्ली कैंट थाने में हत्या और धमकी देने संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कांच के टूटे हुए शीशे बरामद किए हैं। आरोपी विपू घटना से 2 दिन पहले ही पंजाब से दिल्ली आया था। दूसरा आरोपी बसों की सफाई का काम करता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE HINDU ------------------------------DATED 23 सितम्बर • 2022

Kalkaji slum rehab: 285 families selected in third draw of lots

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) has conducted the third draw of lots for 285 eligible families from the Bhoomiheen Camp JJ cluster as part of its in situ slum rehabilitation project at Kalkaji Extension. The result of the draw was published on Thursday.

Through its previous draws conducted in February and June this year, the DDA issued allotment-cum-demand letters to 1,576 eligible households at the JJ cluster, while it has constructed 3,024 flats at the project site.

A senior DDA official said there will be "no more" draws for the households at the Kalkaji JJ cluster, adding that "all eligible households at the Bhoomiheen Camp have been covered".

"Those remaining from the total 2,890 households identified at the JJ cluster are not eligible for a house under the project and a list of these non-eligible households will be published. The eligibility for a house under this project is determined by a committee based on the documents provided by the families. The list of households that are not eligible has not been publicly disclosed," said the DDA official.

Confusion over draws

However, the residents at the Bhoomiheen Camp, whose names have yet not come up in the draw of lots, said they were "assured of more draws to be conducted later".

"Upon seeing the latest draw results, we went to meet some of the officials concerned who told us that they will conduct more draws for the remaining families at the camp. Even a few days ago, we were told that close to 2,900 families from the Bhoomiheen Camp will be given homes. But we are confused as to what the final number is. We will have to wait and see whether more draws are actually conducted," said Sagar, a resident who has not been allotted a flat yet.

The senior DDA official said the remaining flats (1,163 of 3,024) will be used to accommodate families from the nearby JJ clusters – Navjeevan Camp and Jawaharlal Nehru Camp. However, no figures have been provided regarding the total number of households that have been identified in the two camps.

Earlier, another senior DDA official had said "a new housing scheme" has been developed for the two camps on a public-private partnership model.

millenniumpost

HC PERMITS TWO SOCIETIES TO HOLD DUSSEHRA, RAMLEELA IN PARKS HERE

NEW DELHI: The Delhi High Court has granted permission to two societies to hold Dussehra and Ramleela celebrations at two separate parks in Tri Nagar and Kirti Nagar here while directing them to scrupulously follow all safety norms. The two societies approached the high court saying that they have been holding Ramleela and Dussehra celebrations in these parks for the last several years and earlier DDA had been granting permission to hold the celebrations at the same venues but not this time. The counsel for the societies submitted that they had applied for the permission on August 25 but DDA did not respond to their request after which they approached the high court.

राष्ट्रीय सहारा

दो कमेटियों को तय जगह रामलीला आयोजन करने की मिली अनुमति

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली धार्मिक महासंघ की तरफ से दिए स्थान पर श्री केशव धार्मिक रामलीला कमेटी को त्रिनगर के नेपाली वाला बाग व आस्था रामलीला कमेटी को मानसरोवर पार्क के डा. हेडगवार पार्क में रामलीला करने की अनुमति दे दी।

श्री केशव धार्मिक रामलीला कमेटी को त्रिनगर व आस्था रामलीला कमेटी को मानसरोवर पार्क में जगह दी गई

दोनों को 24 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक उस स्थान का उपयोग करने की अनुमति

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने दोनों को 24 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक उस स्थान का उपयोग करने की अनुमति दी है। साथ ही उसे लगाए गए सभी शर्तों को पालन करने एवं सुरक्षा के सभी उपाय करने को कहा है। न्यायमूर्ति ने इसके साथ ही दोनों कमेटी की याचिका को निपटा दिया।दोनों कमेटियों के तरफ से अधिवक्ता गगन गांधी ने कोर्ट से कहा था कि महासंघ की सूची में नाम होने एवं उपराज्यपाल की तरफ से अनुमति मिलने के बावजूद उन लोगों को निर्धारित स्थान पर रामलीला करने की अनुमति नहीं दी गई। केशव रामलीला कमेटी लगभग 25-30 सालों से नेपाली वाला बाग एवं दूसरी कमेटी लगभग पांच सालों से मानसरोवर गार्डन के डा. हेडगवार पार्क में रामलीला करती रही है और उसे अनुमति मिलती रही है। इस बार भी उसने रामलीला करने की अनुमति मांगी और महासंघ ने उसे अपनी सूची में डाला।

उपराज्यपाल ने सूची की सभी कमेटियों को रामलीला करने की अनुमति देने को लेकर जगह आवंटित कर देने का निर्देश दिया। इसके बावजूद डीडीए ने उन दोनों कमेटियों एवं एक अन्य को छोड़कर सभी 57 कमेटियों को रामलीला करने को लेकर स्थान आवंटित कर दिया है। इसलिए डीडीए को उसे भी रामलीला करने के लिए स्थान आवंटित करने को कहा जाए।